28/12/2018

पत्रावली पेश हुई। वकील पथकारइपक्ष वकील प्रार्थी प्रकरण पर कोई नहीं चाहते है। प्रकरण पर नोट प्रेस किया है। प्रकरण पर वकील प्रार्थी कोई कार्यवाही नहीं चाहते से प्रकरण वकील प्रार्थी के नोटप्रेस NOT PRESS से - खारिज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से कम हो। न्यायालय तहसीलदार दौसा की मूल पत्रावली नं. 12/2012 विषय - दिनांक 03-06-2015 अनुपान नगरपालिका दौसा बनाम विजयकुमार को तहसीलदार के लौटाई जावे।

Not Press
28/12/18

28/12/18

अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़